



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272165
CG-DL-E-29042026-272165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2061]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2061]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2134(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 16 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 24 सितंबर, 2020 को प्रकाशित, अधिसूचना संख्या का.आ. 3261(अ) तारीख 24 सितंबर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 4 में, सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	सदस्यता की प्रस्थिति	
(1)	(2)	(3)	
"धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत (अंशकालिक सदस्य)			
5.	डॉ. सतीश कुमार खट्टर	हरियाणा आर्युविज्ञान परिषद	सदस्य";

(ii) उक्त अंशकालिक सदस्य का कार्यकाल, पूर्व अधिसूचना संख्या 3924 दिनांक 27.08.2025 के निर्गमन की तिथि से शेष दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

[फा. सं. यू.12012/18/2024-एमई-1]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पणी.— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या S.O. 3261(ई), दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या S.O. 3924(ई), दिनांक 27 अगस्त, 2025 के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

S.O. 2134(E).— In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 16, of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3261(E), dated the 24th September, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th September, 2020, namely:-

2. In the said notification,-

(i) In paragraph 4, in the table, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Serial Number	Name of the Member	Status of membership	
(1)	(2)	(3)	
"Under sub- section (5) of section 17 (part-time Member)			
5.	Dr. Satish Kumar Khattar	Haryana Medical Council	Member.;"

(ii) The tenure of the aforesaid part-time member shall be for the residual period of two years, reckoned from the date of issuance of the previous Notification No. 3924 dated 27.08.2025.

[F. No. U.12012/18/2024-ME-I]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3261(E), dated the 24th September, 2020 and last amended *vide* notification number S.O. 3924 (E) dated the 27th August, 2025.